[2021] 4 एस. सी. आर 1

आय कर और ए. एन. आर. विभाग के आयुक्त।

वी.

एम/एस। पेप्सी फूड्स लिमिटेड।

(अब पेप्सिकों इंडिया होल्डिंग्स पी. वी. टी. लि.)

(2021 की सिविल अपील संख्या 1106)

अप्रैल 06,2021

[रोहिंटन फाली नरीमन, बी. आर. गवई और

ऋषिकेश रॉय, जे. जे.]

आय कर अधिनियम, 1961: एस। 254 (2ए) तीसरा परंतुक-स्थगन देने वाले अपीलीय न्यायाधिकरण के संबंध में प्रावधान-तीसरा परंतुक प्रदान करता है

365 दिन पूरे होने पर दिए गए ठहराव को स्वतः समाप्त करने के लिए, चाहे अपील की सुनवाई में हुई देरी के लिए निर्धारिती जिम्मेदार हो या नहीं-संवैधानिक वैधता

का-आयोजितः एस को तीसरा परंतुक। 254 (2ए), मनमाना और भेदभावपूर्ण दोनों है और इस प्रकार, अपमानजनक कला के रूप में निरस्त किया जा सकता है। 14 - असमानों के साथ समान व्यवहार किया जाता है-कोई भेदभाव नहीं किया जाता है उन निर्धारिती के बीच तीसरा परंतुक जो इसके लिए जिम्मेदार हैं

कार्यवाही में देरी और ऐसे निर्धारिती जो इतने जिम्मेदार नहीं हैं-इसके अलावा, उक्त परंतुक के परिणामस्वरूप 365 दिनों की समाप्ति पर रोक की स्वतः छुट्टी हो जाएगी, भले ही अपीलीय न्यायाधिकरण निर्धारिती की बिना किसी गलती के समय पर अपील पर विचार न कर सके-इसके अलावा, राजस्व के पक्ष में रोक की छुट्टी तब भी होगी जब राजस्व स्वयं अपील की सुनवाई में देरी के लिए जिम्मेदार हो। 254 (2ए) अब "सम" शब्द के बिना पढ़ा जाएगा और "विलम्ब" शब्दों के बाद "नहीं" शब्द पढ़े जाएंगे।

अपील का निपटान "-धारा में उल्लिखित अवधि या अवधि की समाप्ति के बाद रोक का कोई भी आदेश केवल तभी खाली हो जाएगा जब अपील के निपटारे में देरी का कारण

भारत का निर्धारिती संविधान-Art.14।

कर/कराधानः

कर क़ानून यू/आर्ट के तहत कर क़ानूनों के लिए चुनौती। 14 - चुनौती के लिए आधार-आयोजित: भेदभाव से संबंधित आधारों पर हो सकता है

साथ ही प्रकट मनमानेपन से संबंधित आधार, जो प्रक्रियात्मक या मूल प्रकृति के हो सकते हैं-भारत का संविधान

Art.14।

21] 4 एस सी आर।

कर कानून-व्याख्या का सुनहरा नियम · इसका महत्व-आयोजित: व्याख्या का स्वर्ण नियम नहीं हो सकता है

कर कानूनों की व्याख्या करते समय उनकी उपेक्षा की जाती है।

याचिकाओं को खारिज करते हुए अदालत ने

पकड़ना: 1.1 वित्त अधिनियम, 2008 द्वारा प्रस्तुत आयकर अधिनियम की धारा 254 (2ए) का तीसरा प्रावधान मनमाना और भेदभावपूर्ण दोनों होगा और इसलिए इसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करने के रूप में निरस्त किया जा सकता है। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विवादित निर्णय में यह सही ढंग से अभिनिर्धारित किया गया है कि असमान लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाता है क्योंकि कार्यवाही में देरी के लिए जिम्मेदार निर्धारिती और ऐसा नहीं करने वाले निर्धारिती के बीच तीसरे परंतुक द्वारा कोई अंतर नहीं किया जाता है।

जिम्मेदार हैं। यह इस मायने में थोड़ा अजीब है कि विधायिका ने स्वयं आयकर अधिनियम की धारा 254 (2ए) के दूसरे परंतुक में उक्त भेदभाव किया है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि स्थगन आदेश को इस संतुष्टि पर 365 दिनों की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है कि अपील के निपटारे में देरी निर्धारिती के कारण नहीं है। [पैरा 17] [21-बी-डी] 1.2 दूसरा प्रावधान वित्त अधिनियम, 2007 द्वारा आयकर अधिनियम की धारा 254 (2ए) के पहले प्रावधान की कठोरता को कम करने के लिए पेश किया गया था। आम तौर पर

अपीलीय न्यायाधिकरण, जहां संभव हो, उस वित्तीय वर्ष के अंत से चार साल की अवधि के भीतर अपीलों की सुनवाई और निर्णय करना है जिसमें ऐसी अपील दायर की जाती है। जब अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष विवादित आदेश पर रोक लगा दी जाती है, तभी अपील का 365 दिनों के भीतर निपटारा किया जाना आवश्यक है। जहाँ तक अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा किसी अपील के निपटारे का संबंध है, यह एक निर्देशिका प्रावधान है। तथापि, जहाँ तक उक्त अवधि की समाप्ति पर ठहराव की छुट्टी का संबंध है, यह शर्त जहां तक निर्धारिती का संबंध है, अनिवार्य हो जाती है। आयकर अधिनियम की धारा 254 (2ए) के तीसरे परंतुक द्वारा प्राप्त किया जाने वाला उद्देश्य निस्संदेह उन मामलों में अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपीलों का त्वरित निपटान है जिनमें निर्धारिती के पक्ष में रोक दी गई है। लेकिन ऐसा उद्देश्य स्वयं भेदभावपूर्ण या मनमाना नहीं हो सकता है।

[पैरा 17] [21-डी-जी] आय कर और ए. एन. आर. का उपायुक्त। वी. एम/एस। पेप्सी फूड्स लिमिटेड।

नागपुर सुधार न्यास बनाम। विठ्ठल राव [1973] 3 एससीआर

39 पर भरोसा किया।

नारंग ओवरसीज प्रा. लिमिटेड वी. आई. टी. ए. टी. (2007) 295 आई. टी. आर. 22

- स्वीकृत किया गया।

1.3 चूँकि आयकर अधिनियम की धारा 254 (2ए) के तीसरे परंतुक का उद्देश्य ठहराव की स्वतः छुट्टी है।

भारत का संविधान। इसके अलावा, उक्त परंतुक के परिणामस्वरूप 365 दिनों की समाप्ति पर रोक की स्वतः छुट्टी हो जाएगी, भले ही अपीलीय न्यायाधिकरण निर्धारिती की बिना किसी गलती के समय पर अपील पर विचार न कर सके। इसके अलावा, राजस्व के पक्ष में ठहराव की छुट्टी होगी, भले ही राजस्व स्वयं जिम्मेदार हो। अपील की सुनवाई में देरी के लिए। इस अर्थ में, उक्त परंतुक भी स्पष्ट रूप से मनमाना है क्योंकि यह एक ऐसा प्रावधान है जो जहां तक निर्धारिती का संबंध है, मनमौजी, तर्कहीन और असमान है। [पैरा 17] [22-सी-ई]

1.4 जहां तक अपीलीय कार्यवाही में देरी के लिए जिम्मेदार निर्धारिती और उन लोगों के रूप में असमान लोगों के साथ समान व्यवहार किया गया है।

कराधान की नीति एक ऐसी नीति को संदर्भित करेगी जो संवैधानिक रूप से अनुमेय है। यदि नीति अपने आप में मनमाना और भेदभावपूर्ण है, तो ऐसी नीति को रद्द करना होगा। [पैरा 22] [28-सी-डी] 1.5 उच्च न्यायालय के विवादित फैसले द्वारा निर्धारित कानून सही है। परिणामस्वरूप, विभिन्न उच्च न्यायालयों के निर्णय जो कानून की उक्त घोषणा का पालन करते हैं, वे भी सही हैं। नतीजतन, आयकर अधिनियम की धारा 254 (2ए) के तीसरे प्रावधान को अब "सम" शब्द के बिना पढ़ा जाएगा और "अपील के निपटारे में देरी" शब्दों के बाद "नहीं" शब्द होंगे। रोक का कोई भी आदेश धारा में उल्लिखित अवधि या अवधि की समाप्ति के बाद केवल तभी खाली होगा जब अपील के निपटारे में देरी निर्धारिती के कारण हो। [पैरा 25] [30-ए-बी] [2021] 4 एस।

2. यह तय किया गया कानून है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत बनाए गए कर कानूनों को चुनौती देना संबंध के आधार पर हो सकता है।

भेदभाव के साथ-साथ मानव मनमानेपन से संबंधित आधारों के लिए। ये आधार प्रकृति में प्रक्रियात्मक या आधार हो सकते हैं। इसके अलावा, यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि व्याख्या का सुनहरा रंग कब आता है, इसकी अनुमति नहीं दी जाती है।

कर कानूनों की व्याख्या। [पैरा 14,24] [19-ए-बी; 28-एच;

मेसर्स एम. रामनारायण (पी) लिमिटेड बनाम स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन। ऑफ इंडिया लिमिटेड (1983) 3 एस. सी. सी. 75: [1983] 3 एस. सी. आर. 25; एम. जनार्दन राव बनाम सीआईटी (2005) 2 एससीसी 324: [2005]

1 एससीआर 874-प्रतिष्ठित।

आयकर अधिकारी बनाम. एम. के. मोहम्मद कुन्ही [1969] 2 एस. सी. आर. 65; सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त बनाम कुमार कॉटन मिल्स (2005) 13 एस. सी. सी. 296; आयकर आयुक्त बनाम। मेसर्स मारुति सुजुकी (इंडिया) लिमिटेड (2014) 362 आईटीआर 215; डीसीआईटी बनाम। वोडाफोन एस्सार गुजरात लिमिटेड

(2015) 376 आई. टी. आर. 23; मेसर्स पेप्सी फूड्स लिमिटेड बनाम ए. सी. आई. टी. (2015) 376 आई. टी. आर. 87; मार्डिया केमिकल्स लिमिटेड बनाम। भारत संघ

(2004) 4 एससीसी 311: [2004] 3 एससीआर 982; पीएमएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम। सी. सी. ई. (2013) एस. सी. सी. ऑनलाइन पी. एंड एच. 4440; सूरज मॉल मोहता एंड कंपनी बनाम। ए. वी. विश्वनाथ शास्त्री [1955] 1 एससीआर 448; कुन्नतात थातेहुन्नी मूपिल नायर बनाम। केरल राज्य [1961] 3 एस. सी. आर. 77; भारत संघ बनाम। ए. संन्यासी राव (1996) 3 एससीसी 465: [1996] 2 एस. सी. आर. 57; शायरा बानो बनाम। भारत संघ (2017) 9 एससीसी 1: [2017]

9 एस. सी. आर. 797; एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड

लेनदार v. सतीश कुमार गुप्ता (2020) 8 एससीसी 531: [2019] 16 एससीआर 275; एम. पी. बनाम राज्य भोपाल शुगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड [1964] 6 एससीआर 846; एन. वेणुगोपाल रवि वर्मा राजा बनाम। भारत संघ (1969) 1 एससीसी 681: [1969] 3 एस. सी. आर. 827; कॉम. सीमा शुल्क बनाम। दिलीप कुमार एंड कंपनी (2018) 9 एससीसी 1: [2018] 7 एस. सी. आर. 1191; सी. आई. टी. बनाम जे. एच. गोटला (1985) 4 एससीसी 343: [1985] 2 पूरक। एससीआर

711 - संदर्भित किया गया।

मामला कानून संदर्भ

[1969] 2 एससीआर 65

संदर्भित किया गया है

पै

रा 6

(2007) 295 आईटीआर 22

मंजूरी मिल गई।

आय कर और ए. एन. आर. का पैरा 17 आर। वी. एम/एस। आई फूड लिमिटेड।

पैरा 9

संदर्भित किया गया है

पैरा 11

संदर्भित किया गया है संदर्भित किया गया है

पैरा 12

संदर्भित किया गया है

पैरा 13

संदर्भित किया गया है

पैरा 13,20

संदर्भित किया गया है

पैरा 14

पैरा 15

संदर्भित किया गया है संदर्भित किया गया है

पैरा 15

संदर्भित किया गया है

पैरा 16

उस पर भरोसा करें

पैरा 17

संदर्भित किया गया है

पैरा 18

प्रतिष्ठित

पैरा 19

प्रतिष्ठित

पैरा 20

पैरा 21

संदर्भित किया गया है संदर्भित किया गया है

पैरा 23

पैरा 24

संदर्भित किया गया है

संदर्भित किया गया है

पैरा 24

उलझन: सिविल अपील सं. 1106 उच्च न्यायालय का दिनांकित 19.05.2015 आदेश

(ग) 2014 की सं. 3650।

1107 , 1108 , 1109 , 1110 , 1111 , 1112 , 1113 , 119 , 1120 , 1121 , 1122 , 1123 , 1124 , 1126 , 132 , 1133 , 1134 , 1135 , 1136 , 1137 , 1138 ,जी., अरिजीत प्रसाद, वरिष्ठ अधिवक्ता। , जोहेब हुसैन, [.] आर. राव, डी. एल. चिदानंद, संजय के.

.....अपीलार्थियों के लिए।

21] 4 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अजय वोहरा, वरिष्ठ अधिवक्ता। , सुश्री कविता झा, सुश्री देविका जैन, उदित नरेश, दीपक चोपड़ा, गुरप्रीत सिंह अजमानी, अनमोल आनंद, सुश्री.

प्रिया टंडन, प्रकाश कुमार, राहुल गुप्ता, डी. नागेश्वर राव, अंभोज कुमार सिन्हा, सुश्री शेरी गोयल, आर. चंद्रचूड़, सुश्री अनुराधा दत्त, सचित जॉली, तुषार जारवाल, सुश्री दिशा झाम, सुश्री बी. विजयलक्ष्मी मेनन, शेखर प्रीत झा, डॉ. आशुतोष गर्ग, सलिल कपूर, सुमित लाल चंदानी, सुश्री अनन्या कपूर, सनत कपूर, सुश्री सौमा सिंह, के. पी. सिंह, प्रवीण स्वरूप, हिमांशु एस. सिन्हा, भुवन धूपर, यश वरमानी, सैयद जाफर आलम, अधिवक्ता। उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

आर. एफ. नरीमन, जे.

1. देरी को माफ कर दिया गया। छुट्टी दे दी गई।

3. आयकर और ए. एन. आर. के उपायुक्त में तथ्य। वी. मेसर्स पेप्सी फूड्स लिमिटेड [अब पेप्सिको इंडिया होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड। लिमिटेड] (2015 की विशेष अनुमति याचिका (सी) No.30284) से उत्पन्न होने वाली दीवानी अपील को पहले की सभी अपीलों में तथ्यों के उदाहरण के रूप में निर्धारित किया जा सकता है।

हमें। प्रत्यर्थी-निर्धारिती एक भारतीय कंपनी है जो 24.02.1989 पर निगमित है और संकेंद्रित, फलों के रस, चावल के प्रसंस्करण और निर्यात के लिए वस्तुओं के व्यापार के निर्माण और बिक्री के व्यवसाय में लगी हुई है। निर्धारिती बहु-राष्ट्रीय पेप्सिको इंक. की एक समूह कंपनी है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में निगमित और पंजीकृत कंपनी है।

अमेरिका। निर्धारिती-कंपनी का विलय पेप्सिको इंडिया होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड में हो गया। लिमिटेड डब्ल्यू. ई. एफ. 01.04.2010, विधिवत व्यवस्था की एक योजना के संदर्भ में

माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित। आई. एन. आर. 30.09.2008 पर, आई. एन. आर. 92,54,89,822 की कुल आय घोषित करते हुए निर्धारण वर्ष 2008-2009 के लिए आय विवरणी दाखिल की गई थी। एक अंतिम मूल्यांकन आदेश पारित किया गया था

19.10.2012 पर जो निर्धारिती के लिए प्रतिकूल था। उपरोक्त आदेश से व्यथित होकर, निर्धारिती ने 29.04.2013 पर आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (इसके बाद "न्यायाधिकरण" के रूप में संदर्भित) के समक्ष अपील दायर की। 31.05.2013 पर, न्यायाधिकरण द्वारा मूल्यांकन अधिकारी के आदेश के संचालन पर छह महीने की अवधि के लिए रोक लगा दी गई थी। इस रोक को 08.01.2014 तक बढ़ाया गया और तब तक बढ़ाया जाता रहा जब तक कि 28.05.2014 . चूंकि आयकर

अधिनियम की धारा 254 (2ए) में प्रदान की गई 365 दिनों की अवधि 30.05.2014 पर समाप्त होनी थी, जिसके बाद कोई भी आयकर और ए. एन. आर. का विभाग आयुक्त नहीं था।

आगे विस्तार दिया जा सकता है, निर्धारिती ने राजस्व से दंडात्मक कार्रवाई की आशंका जताते हुए आयकर अधिनियम की धारा 254 (2ए) के तीसरे प्रावधान की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आयकर अधिनियम की धारा 254 (2ए) के तीसरे प्रावधान के उस हिस्से को खारिज कर दिया, जिसमें स्थगन आदेश को 365 दिनों से आगे बढ़ाने की अनुमति नहीं दी गई थी, भले ही निर्धारिती अपील की सुनवाई में देरी के लिए जिम्मेदार न हो। यह निर्णय और विभिन्न उच्च न्यायालयों के कई अन्य निर्णय हैं जिन्हें इन अपीलों में राजस्व द्वारा चुनौती दी गई है।

4. श्री विक्रमजीत बनर्जी, विद्वान ए. एस. जी. ने दिल्ली उच्च न्यायालय के विवादित फैसले और उसके बाद के अन्य फैसलों पर हमला करते हुए तर्क दिया कि अपीलीय कार्यवाही में फैसले पर रोक लगाने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि इस तरह की रोक अपीलीय न्यायालय के विवेक पर निर्भर है। एक बार विवेकाधिकार का प्रयोग करने का मतलब यह नहीं होगा कि उचित अवधि के बावजूद इसका स्वतः विस्तार किया जा सकता है। जा चुका है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि रोक का विवेकाधीन उपाय अपील करने के अधिकार का हिस्सा है जो अपने आप में एक वैधानिक अधिकार है और जिसे विधायिका द्वारा छीन लिया जा सकता है। इसके बाद उन्होंने तर्क दिया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 को यंत्रवत रूप से लागू नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि जोड़ों में कहीं अधिक स्वतंत्रता को कर कानून के तहत दिया जाता है और जब तक राज्य ने एक वैध नीति निर्धारित की है जिसका उसने किसी को भी अलग किए बिना पालन किया है, तब तक कोई भेदभाव संभव नहीं हो सकता है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि जब कर कानूनों की बात आती है तो कठिनाइयों पर आधारित न्यायसंगत विचार और तर्क अनुचित हैं, जिन्हें शाब्दिक रूप से पढ़ा जाना चाहिए। इन सभी प्रस्तावों के लिए, उन्होंने केस लॉ का हवाला दिया, जिस पर बाद में इस फैसले में विचार किया जाएगा।

5. श्री अजय वोहरा, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री हिमांशु एस. सिन्हा, श्री दीपक चोपड़ा और श्री सचित जॉली, विद्वान अधिवक्ता,

निर्धारिती की ओर से उपस्थित होते हुए, श्री की प्रत्येक प्रस्तुति का विरोध किया

बनर्जी, विद्वान ए. एस. जी। उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय के विवादित फैसले के तर्क पर दृढ़ता से भरोसा किया और तर्क दिया कि एक बार एक मजबूत प्रथम दृष्टया मामले, सुविधा संतुलन आदि के आधार पर विवेकाधीन राहत दी गई है, तो यह पूरी तरह से मनमाना और भेदभावपूर्ण होगा कि इस तरह की राहत को इस संदर्भ के बिना स्वचालित रूप से खाली कर दिया जाए कि क्या यह निर्धारिती है जो अपीलीय कार्यवाही को बढ़ा रहा है। एक बार अपील करने का निहित अधिकार होने के बाद, रोक प्राप्त करने का अधिकार है, जिसे एक बार प्राप्त करने के बाद, [2021] 4 एस. सी. आर. पर विलंबकारी रणनीति के बिना खाली नहीं किया जा सकता है।

अपीलार्थी का कुछ हिस्सा अपीलार्थी के खिलाफ पाया जा रहा है। उन्होंने यह दिखाने के लिए इस न्यायालय के फैसलों का हवाला दिया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत भेदभावपूर्ण कराधान को समाप्त कर दिया गया है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि राज्य एक "नीति" के तहत शरण नहीं ले सकता है, अगर वैधानिक प्रावधान में निर्धारित नीति या उद्देश्य स्वयं मनमाना है या

भेदभावपूर्ण। उन्होंने यह दिखाने के लिए निर्णयों का भी हवाला दिया कि एक कर क़ानून की व्याख्या करने में भी, हालांकि न्यायसंगत विचारों को प्रभावी नहीं बनाया जाना है, फिर भी जब प्रावधान की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी जाती है तो वे पूरी तरह से अप्रासंगिक नहीं होते हैं। 6. आयकर अधिनियम की धारा 254 में निहित स्थगन प्रावधान की उत्पत्ति आयकर अधिकारी बनाम मामले में इस न्यायालय के प्रसिद्ध फैसले में है। एम. के. मोहम्मद कुन्ही (1969) 2 एससीआर 65। इसमें

निर्णय, आयकर अधिनियम की धारा 254, जैसा कि मूल रूप से अधिनियमित किया गया था, इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए आया। धारा 254 (1) निर्धारित करने के बाद, इस न्यायालय ने सदरलैंड, सांविधिक निर्माण (तीसरा) को संदर्भित किया।

एडन। , कलाएँ। 5401 और 5402), और फिर अभिनिर्धारित किया कि वह शक्ति जो उक्त धारा द्वारा अपीलीय न्यायाधिकरण को अधिकतम संभव विस्तार के साथ प्रदान की गई है, आवश्यक निहितार्थ से, उसके साथ होनी चाहिए,

ऐसी शक्तियों के प्रयोग को पूरी तरह से प्रभावी बनाने के लिए सभी शक्तियां आकस्मिक और आवश्यक हैं। न्यायालय ने कहा:

" अधिनियम की धारा 255 (5) अपीलीय न्यायाधिकरण को अपनी प्रक्रिया को विनियमित करने का अधिकार देती है, लेकिन यह बहुत संदिग्ध है कि क्या उस प्रावधान से रोक की शक्ति को स्पष्ट किया जा सकता है। हमारी राय में अपीलीय न्यायाधिकरण को अपने अपीलीय अधिकार क्षेत्र के आकस्मिक या सहायक के रूप में स्थगन देने की शक्ति होनी चाहिए। यह है।

विशेष रूप से तब जब धारा 220 (6) किसी स्थिति से स्पष्ट रूप से संबंधित हो।

जब अपीलीय सहायक के समक्ष कोई अपील लंबित हो

आयुक्त, लेकिन जब अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील लंबित होती है तो अधिनियम उस ओर से चुप रहता है। यह अच्छी तरह से कहा जा सकता है कि जब धारा 254 अपीलीय अधिकार क्षेत्र प्रदान करती है, तो यह निहित रूप से अनुदान देती है।

नपुंसक बनाया जा रहा है। अधिनियम का प्रशासन करने वाले अधिकारियों के मन में वैध रूप से एक निश्चित आशंका उत्पन्न हो

सकती है कि यदि अपीलीय न्यायाधिकरण आयकर और ए. एन. आर. के आयुक्त या उनके द्वारा देय करों या दंड की वसूली पर रोक लगाने के लिए आगे बढ़ते हैं।

वी. एम/एस। पेप्सी फूड्स लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

निर्धारिती पर निश्चित रूप से लगाया गया राजस्व

निपटान में अत्यधिक देरी के कारण बहुत नुकसान हो सकता है

अपीलीय न्यायाधिकरणों द्वारा की गई अपील। यह बताने की आवश्यकता नहीं है

कि न्यायाधिकरण द्वारा स्थगन की शक्ति का प्रयोग किए जाने की संभावना नहीं है

एक नियमित तरीके से या निश्चित रूप से विशेष को देखते हुए

कराधान और राजस्व कानूनों की प्रकृति। यह केवल तभी होगा जब एक मजबूत

प्रथम दृष्टया यह मामला बनता है कि न्यायाधिकरण इस बात पर विचार करेगा कि क्या

वसूली कार्यवाही पर रोक लगाने के लिए और किन शर्तों पर और

ठहराव सबसे योग्य और उपयुक्त मामलों में दिया जाएगा जहां

न्यायाधिकरण संतुष्ट है कि अपील का पूरा उद्देश्य होगा

पुनर्प्राप्ति की अनुमति देकर निराश हो जाएँ या परेशान कर दें अपील के लंबित रहने के दौरान कार्यवाही जारी रहेगी।

[पृष्ठ 72 पर]

महत्वपूर्ण रूप से, इस न्यायालय ने माना कि स्थगन के आदेश

अल, यदि अंततः सफल होता है, तो निरर्थक या व्यर्थ होने से,

केवल योग्य और उपयुक्त मामलों में प्रदान किया जाता है।

7. इस न्यायालय के फैसले का कई दशकों तक पालन किया गया।

किसी के द्वारा विवश किए बिना स्थगन प्रदान करने वाला अपीलीय न्यायाधिकरण

सीमा। तथापि, वित्त अधिनियम, 2001 (डब्ल्यू. ई. एफ. 01/06/2001) द्वारा, दो

एस. ओ. एस. को धारा 254 (2ए) में निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया था:

" 254. अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश। XXX XXX XXX

चार साल की अवधि के भीतर ऐसी अपील पर सुनवाई और निर्णय ले सकते हैं। उस वित्तीय वर्ष के अंत से जिसमें ऐसी अपील दायर की जाती है।

धारा 253 की उप-धारा (1) के तहत दायर अपील के संबंध में, अपीलार्थी न्यायाधिकरण एक अवधि के भीतर अपील का निपटारा करेगा।

इस तरह के आदेश की तारीख से एक सौ अस्सी दिनों का:

बशर्ते कि यदि ऐसी अपील का निपटान इसके भीतर नहीं किया जाता है।

पहले परंतुक में निर्दिष्ट अवधि के दौरान स्थगन आदेश कायम रहेगा। उक्त अवधि की समाप्ति के बाद खाली किया गया।

8. यह महसूस करते हुए कि एक कठिन और तेज़ प्रावधान जो निर्देशिका है

अपील के निपटारे का संबंध है, लेकिन जहां तक [2021] 4 एस. सी. आर. अनिवार्य है।

स्थगन आदेश को समाप्त करने का संबंध है, जिससे बड़ी कठिनाई होगी, विधायिका ने फिर से कदम उठाया और वित्त अधिनियम, 2007 (डब्ल्यू. ई. एफ. 01/06/2007) के तहत धारा 254 (2ए) में संशोधन किया:

" 254. अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश।

XXX XXX XXX

(2ए) प्रत्येक अपील में, अपीलीय न्यायाधिकरण, जहां संभव हो, चार साल की अवधि के भीतर ऐसी अपील पर सुनवाई और निर्णय ले सकता है। उस वित्तीय वर्ष के अंत से जिसमें ऐसी अपील धारा 253 की उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के तहत दायर की जाती है:

बशर्ते कि अपीलीय न्यायाधिकरण, निर्धारिती द्वारा किए गए आवेदन के गुण-दोष पर विचार करने के बाद, उप-धारा के तहत दायर अपील से संबंधित किसी भी कार्यवाही में रोक का आदेश पारित कर सकता है।

(1) धारा 253 की ऐसी आदेश की तारीख से एक सौ अस्सी दिनों से अधिक की अवधि के लिए और अपीलीय न्यायाधिकरण निर्दिष्ट स्थगन की उक्त अवधि के भीतर अपील का निपटारा करेगा।

उस क्रम में:

बशर्ते कि जहां ऐसी अपील का इस तरह से निपटारा नहीं किया जाता है

स्थगन के आदेश में निर्दिष्ट ठहराव की उक्त अवधि के भीतर, अपीलीय न्यायाधिकरण, इस ओर से किए गए आवेदन पर -

निर्धारिती और यह संतुष्ट होने पर कि अपील के निपटारे में देरी निर्धारिती के कारण नहीं है, ठहराव की अवधि बढ़ाएँ, या आगे की अवधि या अवधि के लिए ठहराव का आदेश पारित करें जैसा कि वह उचित समझता है, ताकि मूल रूप से अनुमत अवधि और इस तरह विस्तारित या अनुमत अवधि या अवधि का कुल मिलाकर

किसी भी मामले में तीन सौ पैंसठ दिनों से अधिक नहीं और अपीलीय न्यायाधिकरण इस अवधि के भीतर अपील का निपटारा करेगा।

या रहने की अवधि इतनी विस्तारित या अनुमत है:

बशर्ते कि यदि ऐसी अपील का पहले परंतुक के तहत अनुमत अवधि या दूसरे परंतुक के तहत विस्तारित या अनुमत अवधि या अवधि के भीतर इस तरह से निपटारा नहीं किया जाता है, तो रोक का आदेश ऐसी अवधि या अवधि की समाप्ति के बाद खाली हो जाएगा।

9. उपरोक्त प्रावधान (वित्त अधिनियम, 2007 द्वारा संशोधित) नारंग ओवरसीज प्राइवेट में बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती का विषय बन गया। लिमिटेड वी. आई. टी. ए. टी. (2007) 295 आई. टी. आर. 22 बंबई उच्च न्यायालय ने मोहम्मद कुन्ही (उपरोक्त) मामले में फैसले का उल्लेख करने के बाद कहाः

आय कर और ए. एन. आर. के पुटी आयुक्त। वी. एम/एस। पेप्सी फूड्स लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

" क्या वह धारा जो 2007 के वित्त अधिनियम से पहले और 2007 के वित्त अधिनियम के बाद थी, परंतुक में दी गई अवधि के बाद अंतरिम राहत देने की न्यायाधिकरण की शक्ति को बाहर करती है। क्या यह संसद का इरादा था कि ऐसे मामले में भी जहां निर्धारिती की कोई गलती नहीं थी, न्यायाधिकरण को दी गई अंतरिम राहत को जारी रखने की अपनी आकस्मिक शक्ति से वंचित किया जाना चाहिए और यदि ऐसा है तो वह किस शरारत से बचना चाहता था। यदि और बिल्कुल भी गड़बड़ी कार्यवाही के निपटारे में लंबी देरी थी जहां निर्धारिती द्वारा अंतरिम राहत प्राप्त की गई थी। दूसरा परंतुक जैसा कि पहले था, उस मामले में जब एक अपील में अंतरिम राहत दी गई थी, यदि अपील का निपटारा 180 दिनों के भीतर नहीं किया गया था, बशर्ते कि रोक खाली हो जाएगी। परंतुक जैसा कि वह खड़ा था वास्तव में गैर-मनमानेपन की कसौटी पर खड़ा नहीं हो सकता था क्योंकि इसके परिणामस्वरूप एक अपील को पराजित किया जा सकता था, भले ही निर्धारिती की गलती न हो, क्योंकि इस बीच राजस्व निर्धारिती की संपत्तियों के खिलाफ आगे बढ़ सकता था। वित्त द्वारा प्रस्तुत प्रावधान

अधिनियम, 2007 कुछ हद तक इस शरारत से बचने के लिए था कि इसे असंवैधानिक बना दिया जाए। एक बार अपील प्रदान किए जाने के बाद, इसे उन मामलों में निरर्थक नहीं माना जा सकता है जिनमें निर्धारिती की गलती नहीं थी।

2007 के संशोधन ने अवधि बढ़ाने की शक्ति प्रदान की।

360 दिनों के लिए अंतरिम राहत। संसद का स्पष्ट रूप से इरादा था कि ऐसी अपीलों का जल्द से जल्द निपटारा किया जाना चाहिए। यदि यही उद्देश्य था तो जिस शरारत से बचने की कोशिश की गई थी, वह थी निपटान न करना।

जिस अवधि के दौरान अंतरिम राहत लागू थी, उस अवधि के दौरान अपील की गई। अवधि बढ़ाकर संसद ने कानूनों में देरी पर ध्यान दिया। इसका उद्देश्य किसी निर्धारिती में अपील के निहित अधिकार को विफल करना नहीं था, जिसकी अपील का निपटारा किसी भी कारण से नहीं किया जा सकता था।

उसकी ओर से चूक या विफलता, लेकिन या तो न्यायाधिकरण की विफलता या राजस्व के कार्यों के परिणामस्वरूप विस्तारित अवधि के भीतर अपील का निपटान नहीं किया गया।

तो क्या यह कहा जा सकता है कि संसद की मंशा प्रतिबंध लगाने की है?

360 दिनों तक के ठहराव या अंतरिम राहत की अवधि का प्रभाव न्यायाधिकरण की अंतरिम राहत जारी रखने की शक्ति को आवश्यक इरादे से बाहर करने का था। शक्ति को नहीं पढ़ेंगे

निर्धारिती के कार्यों के लिए जिम्मेदार नहीं होने वाले मामलों में अंतरिम राहत जारी रखने की शक्ति को जारी रखने के परिणामस्वरूप यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि ऐसा प्रावधान अनुचित होगा। क्या संसद [2021] 4 एस. सी. आर. की आकस्मिक शक्ति को अस्वीकार करके अपील का उपचार प्रदान करने का इरादा रख सकती थी?

न्यायाधिकरण न्याय करे। पहले से चर्चा किए गए कारणों के लिए हमारी राय में

इसे इस तरह पढ़ना संभव नहीं होगा।

एक तरफ यह पकड़ना संभव नहीं होगा कि एक है अपील का निहित अधिकार और दूसरी ओर यह अभिनिर्धारित करना कि

बिना किसी गलती के अंतरिम राहत का अनुदान जारी रखने की कोई शक्ति नहीं है

निर्धारिती को न्यायाधिकरण की आनुषंगिक शक्ति को विभाजित करके

अंतरिम राहत जारी रखें। इस तरह के पढ़ने का परिणाम इस तरह होगा

अभ्यास को अनुचित और अनुच्छेद 14 का उल्लंघनकारी बनाया जा रहा है

संविधान से। इसलिए न्यायालयों को इसका अर्थ लगाना चाहिए और/या देना चाहिए। संवैधानिक अधिदेश के अनुरूप निर्माण और

किसी प्रावधान के असंवैधानिक होने से बचने के लिए सिद्धांत "।

[पृष्ठ पर 30-31]

उच्च न्यायालय ने तब इस न्यायालय के फैसले को संदर्भित किया

सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त बनाम कुमार कॉटन मिल्स (2005) 13 एस. सी. सी. 296, जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 में निहित एक समान प्रावधान से संबंधित है, अर्थात् धारा 35 सी (2 ए), और फिर अभिनिर्धारित किया:

" हम इस बात का सम्मान करते हैं कि कानून के अनुसार

कुमार कॉटन मिल्स प्राइवेट लिमिटेड। लिमिटेड (ऊपर) को भी लागू होना चाहिए

धारा 254 (2 ए) में यथा प्रवर्तित तीसरे परंतुक का निर्माण

वित्त अधिनियम, 2007 द्वारा। स्थगन या अंतरिम देने की शक्ति

राहत का अंतर्निहित या आकस्मिक होना प्रावधानों द्वारा पराजित नहीं होता है

उप-खंड के लिए। तीसरे प्रावधान को एक सीमा के रूप में देखा जाना चाहिए।

मामले में अंतरिम राहत जारी रखने के लिए न्यायाधिकरण की शक्ति पर

जहाँ अधिनियमों के कारण अपील की सुनवाई में देरी हुई है।

निर्धारिती के लिए जिम्मेदार। इसका मतलब यह नहीं हो सकता कि एक निर्माण

यह देखते हुए कि अंतरिम राहत देने की शक्ति को अस्वीकार कर दिया जाता है, भले ही

जिम्मेदार कार्य निर्धारिती के नहीं बल्कि राजस्व या

स्वयं न्यायाधिकरण। इसलिए, न्यायाधिकरण की शक्ति जारी रखने के लिए

अंतरिम राहत को तीसरे परंतुक की भाषा द्वारा ओवरराइड नहीं किया जाता है।

धारा 254 (2ए)। यह दृष्टिकोण के अनुरूप होगा।

कुमार कॉटन मिल्स प्राइवेट लिमिटेड में लिया गया। लिमिटेड (ऊपर)। वहाँ होगा

न्यायाधिकरण में अच्छे कारण पर रोक की अवधि बढ़ाने की शक्ति न्यायाधिकरण को दिखाया जा रहा है और यह संतुष्ट किया जा रहा है कि मामला

बिना किसी कारण के सुनवाई और निपटान नहीं किया जा सका

निर्धारिती "।

[पृष्ठ 32 पर] आय कर और ए. एन. आर. के पुटी आयुक्त। वी. एम/एस। पेप्सी फूड्स लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]10. इस फैसले के बाद, नए कर अधिनियम की धारा 254 (2ए) में फिर से संशोधन किया गया, इस बार वित्त अधिनियम, 2008 द्वारा। 01/10/2008) . यह संशोधन इस प्रकार है:

" 254. अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश।

बशर्ते कि अपीलीय न्यायाधिकरण, निर्धारिती द्वारा किए गए आवेदन के गुण-दोष पर विचार करने के बाद, उप-धारा के तहत दायर अपील से संबंधित किसी भी कार्यवाही में रोक का आदेश पारित कर सकता है। (1) धारा 253 की ऐसी आदेश की तारीख से एक सौ अस्सी दिनों से अधिक की अवधि के लिए और अपीलीय न्यायाधिकरण निर्दिष्ट स्थगन की उक्त अवधि के भीतर अपील का निपटारा करेगा।

उस क्रम में:

बशर्ते कि जहां ऐसी अपील का इस तरह से निपटारा नहीं किया जाता है

ठहराव के आदेश में निर्दिष्ट ठहराव की उक्त अवधि के भीतर, अपीलीय न्यायाधिकरण, निर्धारिती द्वारा इस ओर से किए गए एक आवेदन पर और यह संतुष्ट होने पर कि अपील के निपटारे में देरी निर्धारिती के कारण नहीं है, ठहराव की अवधि बढ़ा सकता है, या आगे की अवधि या अवधि के लिए ठहराव का आदेश पारित कर सकता है जैसा कि वह उचित समझता है, ताकि मूल रूप से अनुमत अवधि और इस तरह से विस्तारित या अनुमत अवधि या अवधि का कुल मिलाकर किसी भी मामले में, तीन सौ पैंसठ दिनों से अधिक नहीं और अपीलीय न्यायाधिकरण इस तरह विस्तारित या अनुमत ठहराव की अवधि या अवधि के भीतर अपील का निपटारा करेगा:

बशर्ते कि ऐसी अपील का निपटान पहले परंतुक या अवधि या अवधि के तहत अनुमत अवधि के भीतर नहीं किया जाता है।

दूसरे परंतुक के तहत विस्तारित या अनुमत, जो किसी भी मामले में तीन सौ पैंसठ दिनों से अधिक नहीं होगा, स्थगन का आदेश ऐसी अवधि या अवधि की समाप्ति के बाद खाली हो जाएगा, भले ही अपील के निपटारे में देरी निर्धारिती के कारण न हो।

11. संशोधित प्रावधान पर दिल्ली उच्च न्यायालय के डिवीजन एच द्वारा आयकर आयुक्त बनाम में विचार किया गया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मेसर्स मारुति सुजुकी (इंडिया) लिमिटेड (2014) 362 आईटीआर 215। उक्त प्रावधान की संवैधानिक वैधता को चुनौती नहीं दी गई थी, जिसके परिणामस्वरूप दिल्ली उच्च न्यायालय ने धारा 254 (2ए) के तीसरे परंतुक की व्याख्या इस प्रकार की:

" उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हम निम्नलिखित पर पहुंचे हैं: निष्कर्ष निकालना:

1 अक्टूबर से वित्त अधिनियम, 2008 द्वारा प्रतिस्थापित, 2008 , न्यायाधिकरण 365 दिनों की अवधि से आगे रोक नहीं बढ़ा सकता है।

(ii) यदि चूक और देरी चूक के कारण होती है राजस्व, न्यायाधिकरण सुनवाई समाप्त करने और निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है

254 (2ए) संचालन में आएगा।
(iii) धारा 254 (2ए) का तीसरा परंतुक इस पर रोक या प्रतिबंध नहीं लगाता है -

बयान देने से राजस्व या विभागीय प्रतिनिधि

कि वे दोषियों को वापस पाने के लिए दंडात्मक कदम नहीं उठाएंगे

((iv) एक निर्धारिती उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है। और रोक लगाने की मांग करते हुए उच्च न्यायालय के पास शक्ति और अधिकार क्षेत्र है

स्थगन प्रदान करना और न्यायाधिकरण को आवश्यकतानुसार निर्देश जारी करना।

धारा 254 (2ए) उच्च न्यायालय को जारी करने से नहीं रोकती/रोकती है।

उचित निर्देश, जिसमें वसूली पर रोक लगाना शामिल है।

हमने प्रावधानों की संवैधानिक वैधता की जांच नहीं की है।

अधिनियम की धारा 254 (2ए) और मुद्दे को खुला छोड़ दिया गया है।

[
पृष्ठ 232 पर]

12. मारुति सुजुकी (ऊपर) में फैसले के बाद,

डी. सी. आई. टी. बनाम में गुजरात उच्च न्यायालय। वोडाफोन एस्सार गुजरात लिमिटेड (2015) 376 आई. टी. आर. 23 ने मारुति सुजुकी (उपरोक्त) में लिए गए दृष्टिकोण से असहमत होते हुए आयकर अधिनियम की धारा 254 (2ए) के तीसरे प्रावधान की व्याख्या इस प्रकार की:

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (ऊपर) का मामला विशेष रूप से मामले के तथ्यों पर विचार करते समय

अधिनियम की धारा 254 (2ए) के तहत न्यायाधिकरण की शक्तियों के अनुसार, यह आय कर और ए. एन. आर. का शुद्ध आयुक्त है।

वी. एम/एस। पेप्सी फूड्स लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

अभिनिर्धारित और अभिनिर्धारित किया कि अधिनियम की धारा 254 (2ए) द्वारा, 365 दिनों की अवधि से आगे मांग की रोक बढ़ाने के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण की शक्तियों को कम करने/वापस लेने के विधायी इरादे का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। हालांकि, प्रारंभिक रोक की मंजूरी की तारीख से कुल 365 दिनों की अवधि से आगे ठहराव का उपरोक्त विस्तार हमेशा विद्वत अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा व्यक्तिपरक संतुष्टि के अधीन होगा और निर्धारिती अपीलार्थी द्वारा रोक बढ़ाने के लिए किए गए आवेदन पर और यह संतुष्ट होने पर कि प्रारंभिक रोक की मंजूरी की तारीख से 365 दिनों की अवधि के भीतर अपील के निपटारे में देरी अपीलार्थी-निर्धारिती के लिए जिम्मेदार नहीं है। उस उद्देश्य के लिए, हर 180 दिनों की समाप्ति पर, अपीलकर्ता निर्धारिती को पहले दी गई रोक को बढ़ाने के लिए एक आवेदन करना आवश्यक है और विद्वत अपीलीय न्यायाधिकरण को संतुष्ट करना आवश्यक है कि अपील का निपटान नहीं करने में देरी उसके लिए जिम्मेदार नहीं है और विद्वत अपीलीय न्यायाधिकरण को हर 180 दिनों के बाद मामले की समीक्षा करने की आवश्यकता है और रोक के विस्तार के ऐसे आवेदन का निपटान करते समय, विद्वत अपीलीय न्यायाधिकरण को यह संतुष्ट करने के बाद एक बोलने का आदेश पारित करने की आवश्यकता है कि निर्धारिती-अपीलार्थी ने किसी भी देरी की रणनीति में शामिल नहीं किया है और यह कि निर्धारित समय के भीतर अपील का निपटान करने में देरी निर्धारिती अपीलार्थी के लिए जिम्मेदार नहीं है। हालाँकि, साथ ही, यह नहीं माना जा सकता है कि अपीलीय न्यायाधिकरण को अनिश्चित काल तक रोक बढ़ाने के लिए व्यापक शक्तियाँ दी गई हैं और अपीलीय न्यायाधिकरण को अपीलों का जल्द से जल्द निपटान करने की आवश्यकता नहीं है। अधिनियम की धारा 35सी (2ए) का उद्देश्य और उद्देश्य विशेष रूप से यह देखना है कि ऐसे मामले में जहां विद्वत अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा रोक दी गई है, विद्वत अपीलीय न्यायाधिकरण से अपील का कुल 365 दिनों के भीतर निपटारा करने की आवश्यकता है, क्योंकि अंततः राजस्व को नुकसान नहीं उठाना पड़ता है और विद्वत अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा ऐसी अपीलों का निपटान करने के लिए सभी प्रयास किए जाने चाहिए जिनमें प्रारंभिक रोक की मंजूरी की तारीख से कुल 365 दिनों की अवधि के भीतर यथासंभव रोक दी गई है और अपीलीय न्यायाधिकरण ऐसी अपीलों पर ऐसी अपीलों को प्राथमिकता देगा जिनमें कोई रोक नहीं दी गई है। इसके लिए अपीलीय न्यायाधिकरण और/या अपीलीय न्यायाधिकरण के पंजीयक को भी उन अपीलों का अलग रजिस्टर बनाए रखना आवश्यक है जिनमें पूरी तरह से और/या आंशिक रूप से रोक दी गई है और जिन अपीलों में कोई रोक नहीं दी गई है।

[पृष्ठ पर 42-43]

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

दिल्ली उच्च न्यायालय के प्रति सबसे अधिक सम्मान के साथ, यदि उपरोक्त

प्रक्रिया अपनाई जाती है, या तो यह कई गुना बढ़ जाएगी उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही और/या यहाँ तक कि स्थगन प्रदान करना

इसके बजाय यदि उपरोक्त प्रक्रिया का पालन किया जाता है, तो यह पूरा होगा न्याय समाप्त हो जाता है और यह मुकदमेबाजी को पहले भी नहीं बढ़ा सकता है।

उच्च न्यायालय और/या उपयुक्त मंच और उद्देश्य और

अधिनियम की धारा 254 (2ए) के उद्देश्य को प्राप्त किया जाता है।

[पृष्ठ पर 45-46]

13. मेसर्स पेप्सी फूड्स लिमिटेड बनाम में विवादित निर्णय। एसीआईटी

(2015) 376 आई. टी. आर. 87 ने वित्त अधिनियम, 2008 द्वारा संशोधित आयकर अधिनियम की धारा 254 (2ए) के तीसरे प्रावधान की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है। नारंग में बंबई उच्च न्यायालय के फैसले को निर्धारित करने के बाद दिल्ली उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ

विदेशों में (ऊपर), तब मारुति सुजुकी (ऊपर) में दिल्ली उच्च न्यायालय के पिछले फैसले का उल्लेख किया गया और कहा गया:

नहीं बुलाया गया था और संवैधानिक वैधता की जांच नहीं की गई थी उक्त अधिनियम की धारा 254 (2ए) के प्रावधानों को छोड़कर

अस्तित्व में था, कि खंड पीठ इस निष्कर्ष पर पहुंची कि न्यायाधिकरण के पास 365 दिनों की अवधि से आगे स्थगन बढ़ाने की कोई शक्ति नहीं थी।

ठहराव के पहले आदेश की तारीख से लेकिन कि एक निर्धारिती कर सकता है

उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर करें जिसमें आगे भी रोक लगाने की मांग की जाए

365 दिनों की उक्त अवधि और उच्च न्यायालय के पास शक्ति थी और

न्यायाधिकरण को रोक लगाने और निर्देश जारी करने की अधिकारिता और

कि धारा 254 (2ए) उच्च न्यायालय को प्रतिबंधित/वर्जित नहीं करती थी

वसूली पर रोक लगाने सहित उचित निर्देश जारी करना। बॉम्बे हाईकोर्ट ने जेठमल में भी ऐसा ही विचार रखा था।

प्रावधानों का सादा अर्थ, जैसा कि वे खड़े थे। कोई चुनौती नहीं थी। धारा 254 (2ए) के तीसरे परंतुक की संवैधानिक वैधता के लिए

वित्त द्वारा प्रस्तुत संशोधन के बाद उक्त अधिनियम

अधिनियम, 2008। किसी भी उच्च न्यायालय का कोई निर्णय हमारे समक्ष नहीं लाया गया है। पक्षों के लिए विद्वान वकील द्वारा नोटिस, जिसमें

धारा 254 (2ए) के तीसरे परंतुक की संवैधानिक वैधता उक्त अधिनियम की जांच की गई है।

[पुटी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड ए. एन. आर. पृष्ठ 96-97 पर उपलब्ध है। वी. एम/एस। पेप्सी फूड्स लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

मार्डिया केमिकल्स में इस अदालत के फैसले को संदर्भित करने के बाद

सी. ई. (2013) एस. सी. सी. ऑनलाइन पी. एंड एच. 4440, जो इसी तरह के मुद्दों से निपटता है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35 सी (2 ए) में निहित,

हमारा आयोजनः

" 23. डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी (ऊपर) में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, हमें इस बात की जांच करने की आवश्यकता है कि क्या धारा के तीसरे परंतुक की वैधता को वर्तमान चुनौती दी गई है।

254 (2 ए) बनाए रखा जा सकता है। यह अति का मामला नहीं है।

शक्तियों का प्रत्यायोजन और इसलिए, हमें कानून बनाने के लिए अनुच्छेद 14 के दूसरे आयाम के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हम यहाँ एक अस्वीकार्य या अमान्य वर्गीकरण के आधार पर भेदभाव के सवाल से चिंतित हैं। यह बहुत स्पष्ट है कि न्यायाधिकरण को सुनवाई और मनोरंजन करने की शक्ति दी गई है

पता लगाएँ कि कई शर्तें हैं जो निर्धारित की गई हैं। सबसे पहले, धारा 254 (2 ए) के पहले परंतुक के अनुसार, 180 दिनों से अधिक की अवधि के लिए स्थगन आदेश पारित किया जा सकता है और न्यायाधिकरण को उस अवधि के भीतर अपील का निपटारा करना चाहिए। दूसरा परंतुक यह निर्धारित करता है कि यदि 180 दिनों की अवधि के भीतर अपील का निपटारा नहीं किया जाता है, यदि अपील के निपटारे में देरी निर्धारिती के लिए जिम्मेदार नहीं है, तो न्यायाधिकरण के पास कुल मिलाकर 365 दिनों से अधिक की अवधि के लिए रोक बढ़ाने की शक्ति है। एक बार फिर, न्यायाधिकरण को रोक की उक्त अवधि के भीतर अपील का निपटारा करने का निर्देश दिया जाता है। तीसरा परंतुक, जैसा कि आज है, यह निर्धारित करता है कि यदि अपील का 365 दिनों की अवधि के भीतर निपटारा नहीं किया जाता है, तो स्थगन का आदेश खाली हो जाएगा, भले ही अपील के निपटारे में देरी निर्धारिती के कारण न हो। जबकि यह तर्क दिया जा सकता है कि यह शर्त कि स्थगन आदेश हो सकता है 180 दिनों की अवधि से आगे केवल तभी बढ़ाया जा सकता है जब अपील के निपटारे में देरी के लिए निर्धारिती को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता था और यह न्यायाधिकरण की स्थगन आदेश देने की शक्ति पर एक उचित शर्त थी, तो यह तर्क दिया जा सकता है कि जहां निर्धारिती निपटारे में देरी के लिए जिम्मेदार नहीं है।

अपील, फिर भी न्यायाधिकरण के पास 365 दिनों की अवधि से आगे स्थगन बढ़ाने की कोई शक्ति नहीं है। विधायिका का इरादा, जिसमें [2021] 4 एस. सी. आर. है।

शब्दों को सम्मिलित करके स्पष्ट किया गया है-'भले ही अपील के निपटारे में देरी निर्धारिती के कारण न हो'-प्रतिपादन

कानून द्वारा निर्धारिती को निर्धारिती की ओर से कोई गलती नहीं होने के लिए भ्रामक होने के लिए दी गई अपील का अधिकार। यह रोक, जो 365 दिन बीत जाने से पहले उसके लिए उपलब्ध थी, केवल इसलिए छीन ली गई है क्योंकि न्यायाधिकरण, किसी भी कारण से, निर्धारिती के कारण नहीं, अपील का निपटारा करने में असमर्थ रहा है। राजस्व की ओर से अपील के निपटारे में हो रही देरी का मामला लीजिए। उस स्थिति में भी, ठहराव 365 दिनों की समाप्ति पर खाली हो जाएगा। यह इस तथ्य के बावजूद है कि न्यायाधिकरण द्वारा रोक दी गई थी, पहली बार में, मामले के प्रथम दृष्टया गुण-दोष पर विचार करने पर

तर्कपूर्ण आदेश।

24. इसके अलावा, याचिकाकर्ता अपनी दलील में सही हैं कि असमान लोगों के साथ समान व्यवहार किया गया है। जिन निर्धारणकर्ताओं ने स्थगन आदेश प्राप्त करने के बाद और अपने आचरण से अपील की कार्यवाही में देरी की है, उनके साथ उसी तरह का व्यवहार किया गया है जैसे किसी भी तरह से अपील में कार्यवाही में देरी नहीं करने वाले निर्धारणकर्ताओं के साथ किया गया है। निर्धारिती के दो वर्ग अलग-अलग हैं और इन्हें एक साथ नहीं जोड़ा जा सकता है। यह एक साथ जुड़ने से उन कर निर्धारकों के खिलाफ शत्रुतापूर्ण भेदभाव हुआ है जिनके लिए देरी नहीं की गई है

भारत का संविधान। इसका उद्देश्य यह है कि अपीलों की सुनवाई तेजी से की जानी चाहिए और मूल्यांकनकर्ताओं को देरी की रणनीति अपनाकर अपने पक्ष में दिए गए स्थगन आदेशों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। प्रावधान द्वारा प्राप्त किया गया जैसा कि यह है। इसके विपरीत, 'अच्छा व्यवहार' करने वाले मूल्यांकनकर्ताओं और अपील की कार्यवाही में देरी करने वालों को एक साथ जोड़ना स्वयं संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।

बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा नारंग ओवरसीज (ऊपर) में व्याख्या के अनुसार कानून, जिसके साथ हम पूरी तरह से सहमत हैं। नतीजतन, हमारा मानना है कि जहां अपील के निपटारे में देरी का श्रेय निर्धारिती को नहीं दिया जा सकता है, वहां न्यायाधिकरण के पास आयकर विभाग और ए. एन. आर. है।

वी. एम/एस। पेप्सी फूड्स लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

योग्य व्यक्ति को 365 दिनों से अधिक समय तक रहने की अनुमति देने की शक्ति

मामले। रिट याचिकाओं की अनुमति ऊपर दी गई है।

[पृष्ठ पर 107-109]

14. यह एक स्थापित कानून है जो इसके तहत बनाए गए कर कानूनों को चुनौती देता है।

भारत के संविधान का अनुच्छेद 14 भेदभाव से संबंधित आधारों के साथ-साथ स्पष्ट मनमानेपन से संबंधित आधारों पर हो सकता है। ये आधार प्रक्रियात्मक या मूल प्रकृति के हो सकते हैं। इस प्रकार, सूरज मॉल मोहता एंड कंपनी में। ए. वी. विश्वनाथ शास्त्री (1955) 1 एस. सी. आर. 448, इस न्यायालय ने आय (जांच आयोग) अधिनियम, 1947 की धारा 5 (4) को इस आधार पर निरस्त कर दिया कि निर्धारित प्रक्रिया भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 में निहित प्रक्रिया की तुलना में निर्धारिती के लिए काफी अधिक प्रतिकूल और अधिक कठोर थी। इस प्रकार उपरोक्त अधिनियम की धारा 5 (4) को भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के प्रावधानों के खिलाफ अपमानजनक भेदभावपूर्ण कानून के रूप में निरस्त कर दिया गया था।

15. मूल आधार पर कर कानूनों को निरस्त किए जाने के उदाहरण

जिन आधारों पर भेदभाव का आरोप लगाया गया था, वे इस न्यायालय के 5-न्यायाधीश के फैसले में पाए जा सकते हैं, जिसमें कुन्नथट थातेहुन्नी मूपिल नायर बनाम। केरल राज्य (1961) 3 एस. सी. आर. 77, जिसमें त्रावणकोर कोचीन भूमि कर अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के तहत लगाए गए "मूल कर" नामक एक समान कर को भेदभावपूर्ण माना गया था क्योंकि यह असमान लोगों को समान रूप से मानता था। न्यायालय ने कहा:

" आम तौर पर, भूमि या भूमि राजस्व पर कर का आकलन वास्तविक राशि पर किया जाता है।

या भूमि की संभावित उत्पादकता पर कर लगाया जाना चाहिए। में।

दूसरे शब्दों में, कर वास्तव में की गई आय का संदर्भ देता है,

या जो उचित परिश्रम के साथ किया जा सकता था, और इसलिए,

कराधान की घटना को ध्यान में रखते हुए लगाया जाता है। के तहत

विचाराधीन अधिनियम में हम एक संख्या का काल्पनिक मामला लेंगे।

भूमि के समान क्षेत्र के स्वामी और स्वामी व्यक्तियों का। एक.

यह भूमि से कुछ भी नहीं बनाता है, क्योंकि यह शुष्क रेगिस्तान है। दूसरा।

कोई आय नहीं करता है, लेकिन एक के बाद कुछ फसल उगा सकता है

श्रम और पूँजी का असमान रूप से बड़ा निवेश। एक तिहाई

एक, पशुपालन के नियत समय में, भूमि की उपज को उचित बना रहा है।

आनुषंगिक खर्चों और श्रम शुल्कों का भुगतान करने के लिए पर्याप्त

भूमि कर या राजस्व के अलावा। चौथा बड़ा मुनाफा कमा रहा है, क्योंकि भूमि बहुत उपजाऊ है और अच्छी फसल देने में सक्षम है।

अधिनियम के तहत, यह स्पष्ट है कि चौथी श्रेणी, हमारे [2021] 4 एस. सी. आर. में है।

उदाहरण के लिए, कर का बोझ आसानी से वहन करने में सक्षम होगा। द.

तीसरा कर वहन करने में सक्षम हो सकता है। पहला और दूसरा किसी को अपनी जेब से भुगतान करना होगा, अगर वे खर्च कर सकते हैं

करों को। यदि वे कर वहन नहीं कर सकते हैं, तो संपत्ति के लिए उत्तरदायी है

सार्वजनिक मांग की पूर्ति के लिए, कानून की उचित प्रक्रिया में बेचा जाता है। यह.

इसलिए, यह स्पष्ट है कि अधिनियम पर असमानता बड़ी है और है

कर अनुभाग के प्रावधानों में निहित है। यह भी है

स्पष्ट करें कि के प्रावधानों में वर्गीकरण का कोई प्रयास नहीं है

वर्गीकरण की कमी असमानता पैदा करती है। इसलिए यह स्पष्ट है कि कानून के समक्ष समानता से इनकार करने के निषेध से प्रभावित

संविधान का अनुच्छेद 14 "।

[पृष्ठ पर 91-92]

इसी तरह, भारत संघ बनाम। ए. संन्यासी राव (1996) 3 एससीसी

465 , इस न्यायालय ने आयकर अधिनियम की धारा 44-ए. सी. को भेदभावपूर्ण बताते हुए खारिज कर दिया, जब केवल विशेष व्यवसायों को भेदभावपूर्ण व्यवहार के लिए चुना गया था, आय की धारा 28 से 43-सी के तहत राहत दी गई थी।

केवल ऐसे व्यापारों को ही कर अधिनियम से वंचित किया जा रहा है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि इस तरह की राहत से इनकार करने का कानून द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य से कोई संबंध नहीं था और इसके परिणामस्वरूप अन्याय, मनमानेपन और व्यवहार की समानता से इनकार किया गया था (पैराग्राफ 22 देखें)।

16. अनुच्छेद 14 के दूसरे पहलू को हाल ही में पुनर्जीवित किया गया है।

शायरा बानो बनाम में 5-न्यायाधीश पीठ के निर्णय द्वारा। भारत संघ (2017) 9 एस. सी. सी. 1 निम्नानुसार है:

" 101. यह ध्यान दिया जाएगा कि इस न्यायालय की एक संविधान पीठ

इंडियन एक्सप्रेस न्यूजपेपर्स (बॉम्बे) (पी) लिमिटेड बनाम। संघ का

इंडिया [इंडियन एक्सप्रेस न्यूजपेपर्स (बॉम्बे) (पी) लिमिटेड बनाम। संघ

भारत सरकार, (1985) 1 एस. सी. सी. 641: 1985 एस. सी. सी. (कर) 121] ने कहा कि यह

तय किया गया कानून था कि अधीनस्थ कानून को चुनौती दी जा सकती है पूर्ण अधिवेशन के खिलाफ चुनौती के लिए उपलब्ध आधारों में से कोई भी

कानून। इस मामले में, कोई तर्कसंगत अंतर नहीं है

जब इस आधार पर बात आती है तो दो प्रकार के कानूनों के बीच

अनुच्छेद 14 के तहत चुनौती। स्पष्ट मनमानेपन की परीक्षा,

इसलिए, जैसा कि उपरोक्त निर्णयों में निर्धारित किया गया है, इसके लिए लागू होगा

अनुच्छेद के तहत विधान के साथ-साथ अधीनस्थ विधान को अमान्य करना।

14. इसलिए, स्पष्ट मनमानेपन द्वारा कुछ किया जाना चाहिए

आय कर और ए. एन. आर. के पर्याप्त दलाली आयोग के बिना, अविवेकपूर्ण रूप से और/या विधानमंडल।

सिद्धान्त निर्धारित करना। इसके अलावा, जब कुछ किया जाता है जो है अत्यधिक और असमान, ऐसा कानून स्पष्ट रूप से मनमाना होगा। इसलिए, हमारा विचार है कि मनमानेपन में

जैसा कि ऊपर हमारे द्वारा बताया गया है, स्पष्ट मनमानेपन की भावना

अनुच्छेद 14 के तहत अस्वीकार करने वाले कानून पर भी लागू होता है।"

17. इन दोनों मापदंडों को देखते हुए, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि वित्त अधिनियम, 2008 द्वारा शुरू किया गया आयकर अधिनियम की धारा 254 (2ए) का तीसरा प्रावधान मनमाना और भेदभावपूर्ण दोनों होगा और इसलिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करने के रूप में निरस्त किया जा सकता है। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, जैसा कि विवादित निर्णय में सही ढंग से माना गया है, असमान लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाता है कार्यवाही में देरी के लिए जिम्मेदार निर्धारिती और इतने जिम्मेदार नहीं होने वाले निर्धारिती के बीच तीसरे परंतुक द्वारा अंतर किया जाता है। यह इस मायने में थोड़ा अजीब है कि विधायिका ने स्वयं आयकर अधिनियम की धारा 254 (2ए) के दूसरे परंतुक में उपरोक्त भेदभाव किया है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि रोक आदेश को 365 दिनों की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है।

अपील का निपटारा करने का श्रेय निर्धारिती को नहीं दिया जा सकता। हम पहले ही देख चुके हैं कि आयकर अधिनियम की धारा 254 (2ए) के पहले प्रावधान की कठोरता को कम करने के लिए वित्त अधिनियम, 2007 द्वारा दूसरा प्रावधान कैसे लागू किया गया था। आम तौर पर, अपीलीय न्यायाधिकरण, जहां संभव हो, उस वित्तीय वर्ष के अंत से चार साल की अवधि के भीतर अपीलों की सुनवाई और निर्णय करता है जिसमें ऐसी अपील दायर की जाती है। जब अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष विवादित आदेश पर रोक लगा दी जाती है, तभी अपील का 365 दिनों के भीतर निपटारा किया जाना आवश्यक है। जहाँ तक अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा किसी अपील के निपटारे का संबंध है, यह एक निर्देशिका प्रावधान है। तथापि, जहाँ तक उक्त अवधि की समाप्ति पर ठहराव की छुट्टी का संबंध है, यह शर्त जहां तक निर्धारिती का संबंध है, अनिवार्य हो जाती है। आयकर अधिनियम की धारा 254 (2ए) के तीसरे परंतुक द्वारा प्राप्त किया जाने वाला उद्देश्य निस्संदेह उन मामलों में अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपीलों का त्वरित निपटान है जिनमें निर्धारिती के पक्ष में रोक दी गई है। लेकिन ऐसा उद्देश्य स्वयं भेदभावपूर्ण या मनमाना नहीं हो सकता है, जैसा कि नागपुर सुधार न्यास v में सम्मानपूर्वक माना गया है। विठ्ठल राव (1973) 3 एस. सी. आर. 39 निम्नानुसार है:

" अब यह तय हो गया है कि राज्य विधान के उद्देश्य के लिए एक उचित वर्गीकरण कर सकता है। यह समान रूप से व्यवस्थित [2021] 4 एस. सी. आर. है।

कि वर्गीकरण को उचित होने के लिए दो को संतुष्ट करना होगा

परीक्षण: (i) वर्गीकरण बोधगम्य अंतर पर आधारित होना चाहिए।

और (ii) भेद का वस्तु के साथ तर्कसंगत संबंध होना चाहिए।

विचाराधीन कानून द्वारा प्राप्त करने की मांग की गई। इसमें

संबंध यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि वस्तु स्वयं होनी चाहिए

विधिसम्मत। उद्देश्य स्वयं भेदभावपूर्ण नहीं हो सकता है, अन्यथा,

उदाहरण के लिए, यदि उद्देश्य के एक खंड के खिलाफ भेदभाव करना है

अल्पसंख्यक भेदभाव को जमीन पर उचित नहीं ठहराया जा सकता है कि एक उचित वर्गीकरण है क्योंकि इसमें तर्कसंगत है

जिस उद्देश्य को प्राप्त करने की मांग की गई थी, उससे संबंध।

[पृष्ठ 47 पर]

चूंकि धारा 254 (2 ए) के तीसरे परंतुक का उद्देश्य

भले ही अपीलीय न्यायाधिकरण निर्धारिती की बिना किसी गलती के समय पर अपील पर विचार न कर सके। इसके अलावा, राजस्व के पक्ष में ठहराव की छुट्टी तब भी होगी जब अपील की सुनवाई में देरी के लिए राजस्व स्वयं जिम्मेदार हो। इस अर्थ में, उक्त परंतुक भी स्पष्ट रूप से मनमाना है जो एक ऐसा प्रावधान है जो मनमौजी, तर्कहीन और तर्कहीन है। जहां तक निर्धारिती का संबंध है, वह असमानुपाती है।

18. वास्तव में एस्सार स्टील मामले में इस अदालत के हाल के एक फैसले में

इंडिया लिमिटेड ऋणदाताओं की समिति बनाम सतीश कुमार गुप्ता (2020) 8 एस. सी. सी. 531, दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 की धारा 12 (3) में किए गए संशोधन के माध्यम से जोड़े गए दूसरे प्रावधान में "अनिवार्य रूप से" शब्द को निरस्त कर दिया गया था। इस न्यायालय ने कहा:

संहिता के सफल संचालन में प्रमुख कारक, एकमात्र वास्तविक संशोधन के खिलाफ तर्क यह है कि कानूनी रूप से लिया गया समय

एन. सी. एल. टी. के समक्ष पक्षकारों के खिलाफ कभी भी कार्यवाही नहीं की जा सकती है।

और एनक्लैट एक लैटिन उक्ति पर आधारित है जो कारण को कम करता है

न्याय का, अर्थात् एक्टस क्यूरी नेमेनेम ग्रेवबिट।

125. आत्मा राम मित्तल बनाम। ईश्वर सिंह पुनिया [आत्मा राम]

मित्तल बनाम। ईश्वर सिंह पुनिया, (1988) 4 एस. सी. सी. 284], यह कोर्ट प्यूटी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड ए. एन. आर.।

वी. एम/एस। पेप्सी फूड्स लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

हरियाणा शहरी (किराया और बेदखली नियंत्रण) अधिनियम, 1973 के तहत कानूनी कार्यवाही में लिए गए समय के लिए अधिकतम लागू किया गया, जिसमें कहा गया है: (एससीसी पीपी। 288-89 , पैरा 8)

" 8. यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को अदालत की गलती या प्रक्रिया में देरी के कारण पीड़ित नहीं होना चाहिए। ब्रूम ने कहा है कि मैक्सिम एक्टस क्यूरी नेमेनेम ग्रेवबिट-अदालत का एक कार्य किसी भी व्यक्ति को प्रभावित नहीं करेगा। इसलिए, निर्णय के लिए सामान्य रूप से खर्च किए जाने वाले समय को ध्यान में रखते हुए, किराया अधिनियम के आवेदन से दस साल की छूट या अवकाश बन जाएगा।

भ्रमपूर्ण, यदि मुकदमा उस समय के भीतर दायर किया जाना है और अंत में निपटाया जाना है। यह सामान्य ज्ञान है कि जब तक कोई मुकदमा दायर नहीं किया जाता है

पट्टे पर देने की तारीख के तुरंत बाद इसे दस साल के भीतर कभी भी निपटाया नहीं जाएगा और फिर भी उस समय के भीतर इसका निपटान नहीं किया जा सकता है। यह किराया अधिनियम से दस साल की छुट्टी को भ्रामक बना देगा और मकान मालिकों को घरों की कमी की समस्या को हल करने के लिए नए घर बनाने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं देगा। इस प्रकार कानून बनाने का उद्देश्य विफल हो जाएगा। सामाजिक सुधार कानून में उद्देश्यपूर्ण व्याख्या किसी भी अन्य चीज की परवाह किए बिना अनिवार्य है।

126. इसी तरह, सारा मैथ्यू बनाम में। हृदय संवहनी रोग संस्थान [सारा मैथ्यू बनाम। हृदय संवहनी संस्थान

रोग (2014) 2 एस. सी. सी. 62: (2014) 1 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 721], इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि धारा के तहत सीमा की गणना करने के उद्देश्य से

468 दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की सुसंगत तिथि शिकायत दर्ज करने की तारीख है न कि उस तारीख को जिस पर मजिस्ट्रेट संज्ञान लेता है, उपरोक्त उक्ति को निम्नानुसार लागू करता है: (एससीसी पीपी। 96-97 , पैरा 39)

" 39. जैसा कि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचने में पहले ही उल्लेख कर चुके हैं, कानूनी सिद्धांत से प्रकाश खींचा जा सकता है। भारत काले [भारत दामोदर काले बनाम भारत दामोदर काले बनाम भारत दामोदर काले बनाम

काले बनाम भारत दामोदर काले। ए. पी. राज्य, (2003) 8 एस. सी. सी. 559 2004 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 39], जापानी साहू [जापानी साहू बनाम। चंद्रशेखर मोहंती, (2007)

7 एससीसी 394: (2007) 3 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 388] और वांका

राधामनोहरी [वंका राधामनोहरी बनाम। वंका वेंकट रेड्डी, (1993) 3 एस. सी. सी. 4: 1993 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 571] आपराधिक कानून का उद्देश्य अपराध के अपराधियों को दंडित करना है। इस में है प्रसिद्ध कानूनी मैक्सिम नलम टेम्पस ऑट लोकस के साथ ट्यून करें

घटनात्मक नियम, जिसका अर्थ है कि एक अपराध कभी नहीं मरता है।

सी. आर. में

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

साथ ही, यह कानून की नीति भी है कि सतर्क लोगों की सहायता की जाए न कि नींद में रहने वालों की। यह लैटिन मैक्सिम विजिलेंटिबस में व्यक्त किया गया है।

और गैर शयनकक्ष, सबवेनिएंट। अध्याय XXXVI

सी. आर. पी. सी. जो कुछ प्रकार के लिए सीमा अवधि प्रदान करता है

जिन अपराधों के लिए कम सजा दी जाती है, उनका समर्थन किया जाता है।

इस उक्ति से। लेकिन, आई. पी. सी. की धारा 384 या 465 जैसे कुछ अपराधों, जिनमें कम सजा होती है, के भी गंभीर सामाजिक परिणाम हो सकते हैं। इसलिए यह प्रावधान देरी को माफ करने के लिए किया गया है। शिकायत दर्ज करने की तारीख या कार्यवाही शुरू करने की तारीख को प्रासंगिक तिथि के रूप में मानना

संहिता की धारा 468 के तहत गणना की सीमा का समर्थन किया जाता है।

कानूनी मैक्सिम एक्टस क्यूरी नेमेनेम ग्रेवबिट द्वारा जो

इसका अर्थ है कि न्यायालय का कार्य किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा। यह दोहराया जाता है कि संज्ञान लेने में अदालत की निष्क्रियता यानी संदिग्ध अपराध पर ध्यान देने में अदालत की निष्क्रियता।

मेहनती के प्रति पूर्वाग्रह पैदा करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए

शिकायतकर्ता। अध्याय XXXVI इस प्रकार की परस्पर क्रिया को प्रस्तुत करता है

ये तीन कानूनी मैक्सिम। तथापि, इस अध्याय के उपबंधों की व्याख्या केवल इन अधिमानों के आधार पर नहीं की गई है। वे केवल मार्गदर्शक सिद्धांतों के रूप में काम करते हैं।

सैनी वी। उत्तर प्रदेश राज्य (2017) 14 एस. सी. सी. 136: 8 एस. सी. सी. 454], एस. सी. सी. पैरा 29 और 32। इस तथ्य को देखते हुए कि कानूनी रूप से लिया गया समय कार्यवाही संभवतः एक वादी को नुकसान नहीं पहुँचा सकती है यदि स्वयं न्यायाधिकरण

वादी के मामले को आवश्यक अवधि के भीतर वादी की बिना किसी गलती के नहीं ले जा सकता है, एक ऐसा प्रावधान जिसके लिए अनिवार्य रूप से सी. आई. आर. पी. को बिना किसी अपवाद के एक निश्चित तिथि तक समाप्त करने की आवश्यकता होती है।

एक वादी के साथ अत्यधिक हस्तक्षेप हो सकता है

अनुच्छेद 14 के तहत गैर-मनमाना व्यवहार का मौलिक अधिकार और भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत कार्य करने के वादी के मौलिक अधिकार पर अत्यधिक, मनमाना और इसलिए अनुचित प्रतिबंध। इस मामले में, हम आम तौर पर प्रावधान को पूरी तरह से रद्द कर देते। हालांकि, यह तब बच्चे को नहाने के पानी के साथ बाहर फेंक देगा, क्योंकि कानूनी कार्यवाही में लिया गया समय निश्चित रूप से आय कर और ए. एन. आर. का एक महत्वपूर्ण पुटी आयुक्त है।

वी. एम/एस। पेप्सी फूड्स लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

कारक जो देरी का कारण बनता है, और जिसने पूर्व वैधानिक बना दिया है

प्रयोग विफल हो जाते हैं जैसा कि हमने मद्रास पेट्रोकेम से देखा है

[मद्रास पेट्रोकेम लिमिटेड बनाम बी. आई. एफ. आर. (2016) 4 एस. सी. सी. 1: (2016) 2 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 478] इस प्रकार, प्रावधान को अन्यथा अक्षुण्ण रखते हुए, हम "अनिवार्य रूप से" शब्द को स्पष्ट रूप से अस्वीकार करते हैं

भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत मनमाना और वादी के अधिकार पर अत्यधिक और अनुचित प्रतिबंध होने के रूप में

संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत कार्य करना। इस घोषणा का प्रभाव यह है कि आम तौर पर निगमित देनदार की निगमित समाधान प्रक्रिया के संबंध में लिया गया समय दिवाला शुरू होने की तारीख से 330 दिनों की बाहरी सीमा के भीतर पूरा किया जाना चाहिए, जिसमें विस्तार और कानूनी कार्यवाही में लिया गया समय शामिल है। हालांकि, किसी मामले के तथ्यों पर, यदि यह संहिता के तहत न्यायनिर्णायक प्राधिकरण और/या अपीलीय न्यायाधिकरण को दिखाया जा सकता है कि दिवाला समाधान प्रक्रिया को 330 दिनों से अधिक पूरा करने के लिए केवल एक छोटी अवधि बची है, और यह कि

सभी हितधारकों के हित में होगा कि निगमित देनदार

परिसमापन में भेजे जाने के बजाय अपने पैरों पर वापस खड़ा किया जाए और यह कि कानूनी कार्यवाही में लिया गया समय काफी हद तक उन कारकों के कारण है जिनके कारण न्यायनिर्णायक प्राधिकरण और/या अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष वादियों को दोष नहीं दिया जा सकता है, देरी या इसका एक बड़ा हिस्सा न्यायनिर्णायक प्राधिकरण और/या स्वयं अपीलीय न्यायाधिकरण की धीमी प्रक्रिया के कारण होने के कारण, ऐसे मामलों में न्यायनिर्णायक प्राधिकरण और/या अपीलीय न्यायाधिकरण के लिए 330 दिनों से अधिक समय बढ़ाने के लिए खुला हो सकता है। इसी तरह, धारा 12 में नए जोड़े गए परंतुक के तहत भी, यदि सभी उपरोक्त कारकों के कारण 2019 के संशोधन अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से 90 दिनों की अनुग्रह अवधि पार हो जाती है, तो फिर से न्यायनिर्णायक द्वारा विवेकाधिकार का प्रयोग किया जा सकता है।

प्राधिकरण और/या अपीलीय न्यायाधिकरण उपरोक्त मापदंडों को ध्यान में रखते हुए समय और बढ़ाएँगे। केवल ऐसे असाधारण मामलों में ही समय बढ़ाया जा सकता है, सामान्य नियम यह है कि 330 दिन बाहरी सीमा है जिसके भीतर निगमित देनदार की तनावग्रस्त परिसंपत्तियों का समाधान होना चाहिए, जिसके बाद निगमित

ऋणी को परिसमापन में धकेल दिया जाना है।

19. विद्वान ए. एस. जी. के तर्कों पर आते हुए, उनके निर्भरता अंश मैसर्स एम. रामनारायण (पी) लिमिटेड में निहित हैं। राज्य

आईएनजी कॉर्प. ऑफ इंडिया लिमिटेड (1983) 3 एस. सी. सी. 75 (पैराग्राफ 16) और जनार्दन राव बनाम। सी. आई. टी. (2005) 2 एस. सी. सी. 324 (पैराग्राफ 14) 4 एस. सी. आर. नहीं है।

मामले को आगे बढ़ाएँ। मैसर्स एम. रामनारायण (ऊपर) में पैराग्राफ 16 में जो अभिनिर्धारित किया गया था वह यह था कि किसी पक्ष को प्रदान किया गया अपील का वैधानिक अधिकार किसी कानून के प्रावधानों को लागू करने से या पार्टी का आचरण। यह सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XX नियम 11 के प्रावधानों के संदर्भ में आयोजित किया गया था, जो उस मामले में उच्च न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को मुख्य डिक्री के खिलाफ अपील करने के उसके अधिकार से वंचित करने के लिए निर्धारित किया गया था। उच्च न्यायालय के फैसले को दरकिनार कर दिया गया था, इस न्यायालय ने कहा:

" 21. हालांकि बॉम्बे उच्च न्यायालय के मूल पक्ष नियमों के प्रावधानों के आधार पर पहले की अपील को डिक्री या आदेश की प्रमाणित प्रति के बिना दायर करने की अनुमति दी जा सकती थी, लेकिन अपील तब तक वैध और सक्षम नहीं होगी जब तक कि प्रमाणित प्रति दाखिल करने की आगे की आवश्यकता का पालन नहीं किया गया था। उस समय जब 1981 की पूर्व अपील संख्या 36 को वापस ले लिया गया था, डिक्री की प्रमाणित प्रति दाखिल नहीं की गई थी। डिक्री की प्रमाणित प्रति के बिना उक्त अपील एक अक्षम अपील बनी रही। एक अक्षम अपील को वापस लेना जो वास्तव में कानून की नजर में कोई अपील नहीं होगी, किसी भी मामले में नहीं हो सकता है। यदि अपील का अधिकार अन्यथा समय के अंतराल या किसी अन्य वैध कारण से नहीं खो जाता है, तो किसी भी अपीलार्थी के उचित अपील दायर करने के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसलिए, हमारी राय है कि संहिता के आदेश 20 नियम 11 में निहित प्रावधान वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में अपीलार्थी को डिक्री के खिलाफ अपील दायर करने के उसके अधिकार से वंचित नहीं करते हैं।

यह निर्णय विशिष्ट है क्योंकि यह अपील प्रावधान की संवैधानिक वैधता से संबंधित नहीं है।

20. इसी तरह, जनार्दन राव (उपर्युक्त) में निर्णय, जिसमें कहा गया था कि अपील का अधिकार न तो प्राकृतिक है और न ही अंतर्निहित अधिकार है, लेकिन इसे प्रासंगिक समय पर लागू कानून के अनुसार विनियमित किया जाना चाहिए, अपीलीय प्रावधान की शर्तों को सख्ती से पूरा किया जाना चाहिए, यह भी एक ऐसा निर्णय है जिसमें अपील के प्रावधान की संवैधानिक वैधता का कोई संदर्भ नहीं है। वास्तव में, मार्डिया केमिकल्स (उपरोक्त) में इस न्यायालय का निर्णय तब आता है जब अपील के अधिकार के प्रयोग के लिए एक शर्त की संवैधानिक वैधता पर हमला किया जाता है। यह इस न्यायालय द्वारा सम्मानपूर्वक इस प्रकार रखा गया था:

" 60. कार्यवाहियों के पहले चरण में किसी भी राशि के पूर्व-जमा की आवश्यकता आयकर और ए. एन. आर. के किसी भी निर्णय में नहीं पाई जाती है।

वी. एम/एस। पेप्सी फूड्स लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

प्रत्यर्थी की ओर से उद्धृत। ये सभी मामले अपीलों से संबंधित हैं।

माँग के 75 प्रतिशत की जमा राशि, प्रारंभ में

आगे बढ़ना अपने आप में अनुचित और दमनकारी लगता है, अधिक विशेष रूप से जब प्रतिभूत परिसंपत्तियाँ/उनका प्रबंधन

साथ ही इस तरह के ब्याज को हस्तांतरित करने का अधिकार ले लिया गया है।

सुरक्षित लेनदार द्वारा या कुछ मामलों में संपत्ति भी बेची जाती है।

के आधार पर इतनी भारी राशि जमा करने की आवश्यकता

अकेले एकतरफा दावे को एक उचित शर्त नहीं कहा जा सकता है

विवाद के निर्णय की शुरुआत से पहले ही पहली बार में। न्यायाधिकरण को केवल राशि को माफ करने या कम करने की शक्ति देना,

एकतरफा पक्ष में झुकने वाली अंतर्निहित दुर्बलता को ठीक नहीं करता है

पार्टी का, जो, अब तक अकेले पार्टी ने तय किया है

राशि और चूक का तथ्य और बकाया राशि को एन. पी. ए. एस. के रूप में वर्गीकृत करना

प्रक्रिया में उधारकर्ता की भागीदारी/संघ के बिना।

ऐसी कठिन और दमनकारी स्थिति को नहीं छोड़ा जाना चाहिए।

द्वारा विवेक के उचित प्रयोग की अपेक्षा में संचालन

संबंधित प्राधिकारी। जैसा कि ऊपर बताया गया है, ऐसी स्थिति में रखा गया है,

जहाँ उधारकर्ता के लिए कोई राशि जुटाना संभव नहीं हो सकता है।

जमा करने के लिए, उसकी सुरक्षित संपत्ति पहले ही ले ली गई है कब्जा या बेचा, ऐसे सवार को न्यायाधिकरण से संपर्क करने के लिए

कार्यवाही का पहला उदाहरण, अपील के रूप में शीर्षक, प्रस्तुत करता है

भ्रमपूर्ण और उत्तेजक का उपचार करें।

61. सेठ नंद लाल के मामले में [1980 एस. सी. सी. 574] जबकि लाभ उठाने से पहले पूर्व-जमा की वैधता के प्रश्न पर विचार करना

अपील करने का अधिकार न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः (एस. सी. सी पी. 590, पैरा 22)

[आर] अपील का अधिकार क़ानून का एक हिस्सा है और अनुदान देते समय

अधिकार विधायिका के प्रयोग के लिए शर्तों को लागू कर सकते हैं

ऐसा अधिकार जब तक कि परिस्थितियाँ इतनी कठिन न हों कि

अनुचित प्रतिबंधों की राशि जो अधिकार को लगभग प्रदान करती है भ्रमपूर्ण "।

[जोर दिया गया]

इस न्यायालय ने अंततः धारा 17 (2) को निरस्त कर दिया।

वित्तीय परिसंपत्तियों का पुनर्गठन और प्रवर्तन

जिज्ञासा ब्याज अधिनियम, 2002 (इसके बाद "सरफेसी" के रूप में संदर्भित)

अभिनिर्धारित करते हुए कि उल्लिखित परिस्थितियों में, 75 प्रतिशत की जमा राशि

ई "अपील" की सुनवाई के लिए एक पूर्व शर्त के रूप में दावा की गई राशि

एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. [2021] 4 एस. सी. आर. की धारा 17 के तहत ऋण वसूली न्यायाधिकरण।

अधिनियम कठोर, दमनकारी, अनुचित, मनमाना और इसलिए उल्लंघनकारी था।

भारत के संविधान का अनुच्छेद 14।

एम. पी. बनाम राज्य भोपाल शुगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड (1964) 6 एस. सी. आर. 846। इस मामले में, इस न्यायालय के फैसले में कहा गया है कि यदि क़ानून एक का खुलासा करता है कराधान की अनुमेय नीति, न्यायालय इसे बरकरार रखेंगे। हालाँकि, यदि कर जानबूझकर व्यक्तियों के बीच समान परिस्थितियों में अंतर करने के उद्देश्य से लगाया गया था, तो ऐसा कर लगाया जा सकता है।

नीचे।

22. हम पहले ही देख चुके हैं कि अपील में देरी के लिए जिम्मेदार निर्धारिती के रूप में असमान लोगों के साथ समान व्यवहार कैसे किया गया है

कार्यवाही और जो इतने जिम्मेदार नहीं हैं, जिसके परिणामस्वरूप भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होता है। इसके अलावा, अभिव्यक्ति "अनुमेय" कराधान की नीति एक ऐसी नीति को संदर्भित करेगी जो संवैधानिक रूप से अनुमेय है। यदि नीति अपने आप में मनमाना और भेदभावपूर्ण है, तो ऐसी नीति को रद्द करना होगा, जैसा कि ऊपर पैराग्राफ 17 में पाया गया है।

23. विद्वान ए. एस. जी. द्वारा जिस अन्य निर्णय पर भरोसा किया गया है, वह एन. वेणुगोपाल रवि वर्मा राजा बनाम में निर्णय है। भारत संघ

(1969) 1 एस. सी. सी. 681 (पैरा 14)। यह निर्णय वर्गीकरण के मामले में विधायी विवेकाधिकार के लिए एक बड़ी भूमिका की बात करता है जब ऐसा कानून एक कर कानून है। इस पैराग्राफ में लागू की गई चेतावनी यह है कि एक कर कानून भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन कर सकता है यदि वह संपत्ति के एक ही वर्ग, व्यक्तियों आदि पर कुछ ऐसा अधिरोपित करना चाहता है जो स्पष्ट असमानता की ओर ले जाता है। यह है चेतावनी

जो आयकर अधिनियम की धारा 254 (2ए) के तीसरे परंतुक पर लागू किया गया है।

24. विद्वान ए. एस. जी. ने तब कमर पर भरोसा किया। सीमा शुल्क बनाम। दिलीप कुमार एंड कंपनी (2018) 9 एस. सी. सी. 1 (पैराग्राफ 32 से 34)। यह निर्णय केवल इस सुव्यवस्थित सिद्धांत को दोहराता है कि कराधान के क्षेत्र में

कर की पात्रता निर्धारित करने में कठिनाई या समानता की कोई भूमिका नहीं है। वर्तमान अपीलों का कर की पात्रता निर्धारित करने से कोई लेना-देना नहीं है। उनका संबंध केवल आयकर अधिनियम में अपील प्रावधान की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने से है। इसके अलावा, यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि व्याख्या के सुनहरे नियम को मंजूरी नहीं दी गई है-आय कर और ए. एन. आर. के पुटी आयुक्त द्वारा।

वी. एम/एस। पेप्सी फूड्स लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

यह कर कानूनों की व्याख्या के लिए आता है। सी. आई. टी. बनाम में यह न्यायालय। गोटला (1985) 4 एस. सी. सी. 343 ने इसे अच्छी तरह से रखा जब उसने कहाः

" 46. जहाँ किसी वैधानिक प्रावधान की स्पष्ट शाब्दिक व्याख्या एक स्पष्ट रूप से अन्यायपूर्ण परिणाम उत्पन्न करती है जो कभी नहीं हो सकता था। विधानमंडल द्वारा अभिप्रेत, न्यायालय विधानमंडल द्वारा उपयोग की जाने वाली भाषा को संशोधित कर सकता है ताकि विधानमंडल के इरादे को प्राप्त किया जा सके और एक तर्कसंगत संरचना तैयार की जा सके। का कार्य

एक सांविधिक प्रावधान की व्याख्या उपयोग की गई भाषा से विधानमंडल के इरादे का पता लगाने का एक प्रयास है। यह आवश्यक है।

यह याद रखना कि भाषा मानव इरादे की अभिव्यक्ति के लिए एक अपूर्ण साधन है। जज लर्नड हैंड द्वारा दी गई चेतावनी को याद रखना अच्छा है कि किसी को शब्दकोश से बाहर एक किला नहीं बनाना चाहिए, बल्कि उस क़ानून को याद रखना चाहिए।

हमेशा कुछ उद्देश्य या उद्देश्य पूरा करना होता है और

सहानुभूतिपूर्ण और कल्पनाशील खोज उनके लिए सबसे निश्चित मार्गदर्शक है।

अर्थ।

47. हमने अधिनियम की धारा 16 (3) के उद्देश्य को नोट किया है जिसे वर्तमान उद्देश्य के लिए इस मामले में धारा 24 (2) के साथ पढ़ा जाना चाहिए। यदि किसी विशेष प्रावधान का उद्देश्य अधिनियम की पूरी योजना से आसानी से स्पष्ट हो जाता है, जो इस मामले में, जहां तक निर्धारिती की आय की गणना का संबंध है, परिसंपत्तियों के हस्तांतरण के प्रभाव का प्रतिकार करने के लिए है, तो उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, हमें विधानमंडल द्वारा उपयोग की जाने वाली भाषा से इरादे का पता लगाना चाहिए और यदि सख्त शाब्दिक संरचना हो।

इसके अलावा, तत्काल मामले में हम एक कृत्रिम देयता से निपट रहे हैं जो केवल हस्तांतरण द्वारा कर देयता को कम करने के निर्धारिती के प्रयासों के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए बनाई गई है। यह भी उल्लेख किया गया है कि किस प्रकार विभिन्न उद्देश्यों के लिए व्यवसाय से लाभ होता है। सम्मिलित या हानि को विभिन्न स्थितियों में निर्धारिती की आय के रूप में माना जाता है। अधिनियम की योजना, जैसा कि तैयार किया गया है, का उल्लेख किया गया है

इससे पहले। "[2021] 4 एस. सी. आर.

ई-कोर्ट रिपोर्टदिल्ली पेप्सी फूड्स लिमिटेड (ऊपर) के विवादित फैसले से हुई सहायता सही है। परिणामस्वरूप, विभिन्न उच्च न्यायालय जो उपरोक्त का पालन करते हैं, वे भी सही हैं। नतीजतन, आयकर अधिनियम के तीसरे प्रावधान को अब "निपटान में देरी" शब्दों के बाद "नहीं" ई-शब्दों के बिना पढ़ा जाएगा।

धारा में उल्लिखित समाप्ति के बाद ठहराव का आदेश केवल तभी खाली होगा जब निपटान में देरी निर्धारिती के लिए देय हो। राजस्व की अपीलेंएसएसईडी।

याचिकाएं खारिज कर दी गईं।